दूसरी अनुसूची

(धारा 92 देखिए)

क्रम सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
	सा0का0नि0 260(अ), तारीख 1 मई, 2006, 40/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मई, 2006	उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैरा में,—	
		(i) शर्त (iii) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—	
		"(iiiक) निर्यात बाध्यता के पूर्णरूपेण निर्मोचन के पश्चात् किए गए आयात की बाबत, यदि नियम 18 (पारिणामिक उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर संदत्त शुल्क की रिबेट) या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन सुविधा या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है, तब आयातकर्ता शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए आयातित माल का उपयोग अपने कारखाने में या अपने सहायक विनिर्माणकर्ता के कारखाने में करेगा और अधिकारिता रखने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि आयातित माल का इस प्रकार उपयोग किया गया है :	1 मई, 2006
		परंतु यदि,—	
		(क) सामग्री का आयात क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अंतरित प्राधिकार से किया गया है, या	
		(ख) आयातित सामग्रियों का अंतरण क्षेत्रीय प्राधिकरण की अनुमति से किया गया है,	
		तब आयातकर्ता, इसमें अंतर्विष्ट छूट न मिलने पर, इस प्रकार आयातित या अंतरित सामग्रियों पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर रकम का तथा सामग्री की निकासी की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज का संदाय करेगा :	
		परंतु यह और कि ऐसी कोई रकम 1 मई, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक जारी किए गए प्राधिकार की बाबत संदेय नहीं होगी।";	
		(ii) शर्त (iiiक) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	
		"परंतु यह भी कि आयातकर्ता, इसमें अंतर्विष्ट छूट न मिलने पर, आयातित सामग्री पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क का संदाय करता है तब आयातित सामग्रियों की निकासी इस शर्त में विनिर्दिष्ट बंधपत्र दिए बिना की जा सकेगी और इस प्रकार संदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।";	19 फरवरी, 2009
		(iii) शर्त (v) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—	
		"(v) कि उक्त प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यताओं का (मूल्यानुसार और मात्रा के अनुसार, दोनों ही रूप में) उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त की जाए, भारत में विनिर्मित पारिणामिक उत्पादों का, जो उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट हैं, निर्यात करके उन्मोचन कर दिया गया है :	1 मई, 2006 से 18 फरवरी, 2009
		परंतु अग्रिम मध्यवर्ती प्राधिकार धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.3 (ii) के निबंधनों के अनुसार निर्यातकर्ता को पारिणामिक उत्पादों का प्रदाय करके निर्यात बाध्यता का निर्मोचन करेगा ।";	
		(iv) स्पष्टीकरण में खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	
		'(v) "शुल्क्य माल" से ऐसा उत्पाद-शुल्क्य माल अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है और जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की 'शून्य' दर से प्रभार्य नहीं है ।'।	1 मई, 2006 से 18 फरवरी, 2009

http://indiabudget.nic.in